शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े

dr.amws

@DrAMWS2022

@bhimchannel22

डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

संविधान संशोधन समिति

आम सूचना

क्रमांकः DrAMWS/2022/SSS/R- 80 **दिनांकः 12 जनवरी, 2023**

अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक DrAMWS/2022/GS/R-51 दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 व क्रमांक DrAMWS/2022/GS/R-2 दिनांक 04 जनवरी, 2023 के द्वारा सोसायटी के संविधान में संशोधन के लिए **''संविधान संशोधन समिति''** का गठन किया गया है, जिसमें सर्व श्री उदय चन्द बारूपाल अध्यक्ष, श्री राम चौरड़िया, श्री बी.एल. नवल, श्री शंकर लाल मेहरानिया, श्री महेन्द्र आनन्द, श्री मोहन लाल वर्मा, श्री पूरण मल बेरी एवं वी.सी. बनुकर को सदस्य व श्री जी. एल. वर्मा की सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। समिति को तीन माह में संविधान संशोधन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

समिति ने उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 28.12.2022 व दिनांक 10.01.2023 को संशोधन प्रस्ताव तैयार करने हेतु बैठकें आयोजित की। समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श के पश्चात् संविधान संशोधन हेतु सुझाव आमन्त्रित करने के लिए **''संविधान सशोधन सुझाव प्रश्नावली''** सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

समिति द्वारा आमन्त्रित किये गये **सुझाव सोसायटी की अधिकृत ई–मेल (dramdkr@gmail.com) और सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय के पते (13–14, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004) पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही प्रेषित किये जावें।** यदि आवश्यक हो तो सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग भी कर सकते हैं। **(व्हाट्सप पर प्रस्तुत किये गये सुझाव मान्य नहीं होगें)।** सुझाव सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय पर कार्यालय समय में **व्यक्तिशः** भी प्रस्तुत किये जा सकेगें। **कार्यालय में सुझाव प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2023 है।**

जी. एल. वर्मा
सदस्य सचिव
संविधान संशोधन समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अध्यक्ष एवं समस्त प्रदेश कार्य समिति, कार्यकारिणी डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान, जयपुर **(व्हाट्सएप द्वारा)**
2. अध्यक्ष जिला एवं अन्य शाखाएँ सोसायटी **(व्हाट्सएप द्वारा)**
3. सोसायटी अध्यक्ष एवं सदस्यगण सोसायटी संविधान संशोधन समिति
4. नोटिस बोर्ड
5. सामाजिक अखबार में प्रकाशन हेतु।
6. सोसायटी वेबसाइट
7. सोशल मीडिया

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर, राजस्थान

संविधान संशोधन समिति

संविधान संशोधन सुझाव प्रश्नावली

I - व्यक्तिगत विवरण:

1. नाम: ..... मोबाइल नंबर: .....
   ईमेल आईडी: .....
2. जाति: ..... उप–जाति: ..... आयु: .....
3. निवासी: .....
4. शैक्षणिक योग्यता: .....
5. व्यवसाय:.....

II - संविधान संशोधन सुझाव

संविधान के विद्यमान प्रावधानों में संशोधन **(Amendment),** विलोपीकरण **(Deletetion),** प्रतिस्थापन **(Substitution),** नवीन प्रावधान **(New Addition)** एवं पुनः लेखन **(Re-Write)** के लिए दिये गये प्रारूप में सुझाव आमन्त्रित है।

(संशोधित संविधान, 2013, तक)

धारा 01.

विद्यमान प्रावधान :

सोसायटी नाम ''डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी'' होगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा 02.

विद्यमान प्रावधान

कार्य क्षेत्र : संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान होगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (3) लक्ष्य और उद्देश्य :

विद्यमान प्रावधानः

संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य डा. बी. आर. अम्बेडकर की स्मृति को स्थायी बनाना व अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक हितों का संर्वधन करना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक न्याय, प्रगति एवं विकास करना, सेवा संबंधी मामलों में हर सम्भव एवं पर्याप्त मार्ग दर्शन प्रदान करना।

इन लक्ष्यों और उद्दश्यों को प्राप्त करने के लिए सोसायटी डॉ0 अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा करने, प्रचार–प्रसार के लिए शोध संस्था एवं संस्थाओं और आम मंचों की स्थापना करेंगी। जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली छात्रों एवं विद्वानों के लिये छात्रवृतियां, पुस्तकें और पारितोषिक एवं पुरस्कार आदि प्रारम्भ करेंगी और सामाजिक, शैक्षणिक और सेवा संबंधी शिकायतों के लिए कक्ष स्थापित करेंगी।

इन उद्देश्यों के लिये सोसायटी चन्दे, विशेष अंशदान एवं दान द्वारा कोष इकट्टा करेंगी एवं संस्था के व्यापक हित में कोष का विनियोजन करेगी। सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों पर नियन्त्रण तथा प्रबन्ध करेंगी।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (4)

व्याख्याः

विद्यमान प्रावधान :

(1) संविधान से तात्पर्य हैं, भारत का संविधान।

(2) सरकार से तात्पर्य है, केन्द्रीय या राज्य सरकार।

(3) अनुसूचित जाति से तात्पर्य है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों (समय–समय पर निकलने वाले आदेशों के अनुसार)

(4) सोसायटी से तात्पर्य है, डॉ0 अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान।

(5) वर्ष से तात्पर्य हैं 1 अप्रैल से शुरू होने वाला तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (5) सदस्य :

विद्यमान प्रावधान :

अनुसूचित जाति का हर व्यक्ति पुरूष एवं महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष या उपर हो तथा सोसायटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य से सहमत हो, सोसायटी का सदस्य बनने का पात्र होगा। जिला स्तरीय शाखा और अन्य शाखाओं की सदस्यता अलग–अलग होगी, लेकिन इन शाखाओं के आजीवन / संरक्षक सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति के भी सदस्य होंगे। बशर्ते कि ऐसे सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क की 25 प्रतिशत राशि केन्द्रीय कार्य समिति को भिजवाई गई हों।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (6) सदस्यता की समाप्ति :

विद्यमान प्रावधान :

(1) मृत्यु होने पर

(2) सदस्यता से त्याग पत्र देने पर

(3) निष्कासन

(1) यदि उसे बेईमानी या नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दण्ड मिला हो।

(2) यदि वह जानबुझकर ऐसे कार्य करें जिनसे संस्था के हितों को नुकसान होने सम्भावना हो।

(3) पागल होने पर।

(4) उपनियम 16(6) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर

स्पष्टीकरण :

किसी सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद सम्बन्धित कार्यकारिणी दो–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में बहुमत द्वारा सोसायटी से निष्कासित कर सकेगी। सदस्यता की समाप्ति निष्कासन की तारीख से या निष्कासित के प्रस्ताव में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा ?

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (7) सदस्यता शुल्कः

विद्यमान प्रावधान :

(क) केन्द्रीय कार्य समिति (राज्य स्तर पर)

सदस्यता शुल्क 400.00 / रू. (आजीवन)

प्रवेश शुल्क 10.00 रू.

(ख) जिला स्तरीय व अन्य शाखाएँ

प्रवेश शुल्क 2.00 रू.

सदस्यता शुल्क 11.00 / रू.

(आजीवन शुल्क 400.00 / रू.)

(ग) संरक्षक

संरक्षक सदस्य को 5000.00 रू. शुल्क देना होगा और वे **प्रदेश कार्यकारिणी** के स्थायी सदस्य होगें।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (8) संगठनः

केन्द्रीय कार्य समिति –

विद्यमान प्रावधान

(क) यह संगठन राज्य स्तर पर होगा और इसका मुख्यालय जयपुर में झालाना डूँगरी संस्थान क्षेत्र में होगा। इसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न होगें –

(1) अध्यक्ष – एक

(2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष – एक

(3) उपाध्यक्ष – ग्यारह

(4) महासचिव – एक

(5) संयुक्त सचिव – ग्यारह

(6) संगठन सचिव – ग्यारह

(7) कोषाध्यक्ष – एक

(8) सदस्य कार्यकारिणी – 21

(ख) जिला स्तरीय व अन्य शाखाओं की कार्यकारिणी इनके पदाधिकारी व सदस्य इस प्रकार होगें –

(1) अध्यक्ष – एक

(2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष – एक

(3) उपाध्यक्ष – पांच

(4) सचिव – एक

(5) संयुक्त सचिव – छः

(6) कोषाध्यक्ष – एक

(7) संगठन सचिव – छः

(8) सदस्य कार्यकारिणी – ग्यारह

(ग) प्रदेश कार्यकारिणी : इनमें <u>केन्द्रीय कार्यसमिति की कार्यकारिणी</u> के अतिरिक्त निम्न सदस्य होगें–

(1) संभागीय सचिव – (केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा मनोनीत किये जायेगें)

(2) जिला स्तरीय व अन्य शाखाओं के अध्यक्ष

(3) संरक्षक सदस्य

(4) विशिष्ट आमन्त्रित सदस्य

(5) संस्था के सम्बन्धता प्राप्त अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव प्रदेश कार्यकारिणी के भी अध्यक्ष एवं महासचिव होगें।

(घ) 1. कार्यकारिणी में यथा सम्भव अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जावें।

2. कार्यकारिणी में महिलाओं को प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जावें।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (9) अन्य संस्थाओं से सम्बद्धता :

विद्यमान प्रावधान :

केन्द्रीय अथवा जिला स्तर पर इस संस्था के उद्देश्यों से सहमती रखने वाली समान विचारधारा की अनुसूचित जाति की संस्थाओं को प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय समिति व जिला स्तर पर जिला कार्यकारिणी सम्बद्धता (affilition) प्रदान कर सकेगी। सम्बद्धता शुल्क प्रदेश स्तर पर 500.00 रू. एवं जिला स्तर पर 200 रू. होगा जिसकी सम्बद्धता जिला स्तर तक सीमित रहेगी।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (10) चुनाव :

विद्यमान प्रावधान :

(क) **केन्द्रीय कार्य समितिः** मत देने का अधिकार प्रदेश स्तर के सदस्यों को होगा। चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से होगा। कार्यकारिणी के 58 पदों में से अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगें। शेष 54 पदों का मनोनयन चारों पदाधिकारियों अर्थात् अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा। विवाद होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। चारों पदों (अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष) के मतदान जिला मुख्यालयों पर ही सुविधानुसार विभिन्न स्थानों पर बूथ स्थापित कर चुनाव किये जा सकेगे।

(1) **कार्यकारिणी** का कार्यलय तीन वर्ष का होगा।

(2) चुनाव, अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व तक कराने आवश्यक होंगे। निर्धारित अवधि में चुनाव नहीं कराने पर प्रदेश कार्यकारिणी के 5 सदस्यो के लिखित आवेदन पर बैठक बुलाकर नये चुनाव करवाने हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव कराया जा सकेगा।

(ख) 1. जिला स्तरीय शाखा की तद्र्थ कार्यकारिणी का गठन केन्द्रय कार्य समिति करेंगी।

2. तदर्थ कार्यकारिणी के सदस्य तीन माह की अवधि में संभागीय सचिव की उपस्थिति में लोकतांन्त्रिक पद्धति से नियमि कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे।

3. जिले की अन्य शाखाओं की तद्र्थ कार्यकारिणी का गठन जिलाध्यक्ष करेगें। इनकी नियमित कार्यकारिणी का चुनाव भी तीन माह की अवधि में जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकतांत्रिक पद्धति से कराया जायेगा।

4. जिला / शाखा कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

5. जिला / शाखा कार्यकारिणी के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगें। शेष पदों का मनोनयन चारों पदाधिकारियों अर्थात् अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा। विवाद होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) रिक्त स्थान की पूर्ति सहवरण से की जायेगी।

(घ) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय कार्यसमिति / जिला स्तरीय कार्यकारिणी / शाखा कार्यकारिणी करेंगी। शाखओं में विवाद की स्थिति बनने पर केन्द्रीय समिति चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव सम्पन्न करवायेगी।

(ड़) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराने पर ही मत देने के लिए अधिकृत होगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

.....

धारा (11) गणपूर्ति (कोरम):

विद्यमान प्रावधान :

(1) कार्य संचालन के लिए एक तिहाई सदस्यों का कोरम आवश्यक होगा।

(2) कोरम के अभाव में स्थगित बैठक निर्धारित समय के एक घंटा बाद पुनः आयोजित की जा सकेगी जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

सुझाव :

.....

.....

.....

.....

धारा (12) आम सभा :

विद्यमान प्रावधान :

हर वर्ष 14 वर्ष अप्रैल को बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राज्य स्तर, जिला स्तर पर व अन्य शाखाओं के स्तर पर आम सभाओं का आयोजन किया जायेगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (13) सूचना :

विद्यमान प्रावधान :

(1) **केन्द्रीय कार्य समिति,** जिला स्तरीय कार्यकारिणी व अन्य शाखाओं की कार्यकारिणी की बैठक की सूचना लिखित में कम से कम एक सप्ताह से पूर्व जारी करनी होगी।

(2) **प्रदेश कार्यकारिणी** व **आम सभा** की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व जारी करनी होगी।

(3) असाधारण बैठक किसी भी समय एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

(4) उक्त सभाओं की सूचनाओं के साथ कार्य सूची भेजना आवश्यक होगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (14) बैठकें :

विद्यमान प्रावधान :

(1) सोसायटी के कार्य संचालन हेतु केन्द्रीय कार्य समिति व अन्य कार्यकारिणी की बैठक जितनी बार आवश्यक होंगी आयोजित की जावेगी, लेकिन तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (15) आम सभा की बैठक में निम्न कार्य सम्पादित होंगे :

विद्यमान प्रावधान :

(1) वार्षिक रिपोर्ट एवं वर्ष के लेखे–जोखे प्रस्तुत किये जायेगें।

(2) केन्द्रीय कार्यसमिति, जिलास्तरीय एवं अन्य शाखाओं की कार्यकारिणी द्वारा कार्य सूची में शामिल किसी अन्य कार्य का सम्पादन।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (16) कार्य संचालन :

विद्यमान प्रावधान :

(क) केन्द्रीय कार्य समिति / शाखा कार्यकारिणी के मुख्य कार्य निम्न होगें –

(1) सदस्यों से एवं दानदाताओं से धन एकत्रित करना, मान्यता प्राप्त बैंकों में जमा कराना, सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धन खर्च करना।

(2) सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि में से अन्य शाखाएं जिला शाखा को रू. 50.00 और जिला मुख्यालय शाखाऐं केन्द्रीय कार्य समिति को रू. 100.00 वार्षिक शुल्क देंगी।

(3) प्राप्त धन और खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब रखना।

(4) वर्ष की समाप्ति पर आमसभा की बैठक में प्रस्तुत करने के लिए सोसायटी के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों का विवरण तैयार करना।

(5) सोसायटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित विषयों और मामलों पर चर्चा प्रारम्भ करना, प्रस्ताव तैयार करना एवं पारित करना और लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऐसे संवैधानिक प्रयास एवं कार्यवाही करना जो उचित समझी जावें।

(6) जिला स्तरीय व अन्य कार्यकारिणी अथवा कोई सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति की पूर्व अनुमति के बिना संस्था की परिसम्पत्ति पर किसी प्रकार निर्माण कार्य, मूर्ति स्थापना कार्य या अन्य स्थायी प्रकार का कार्य नहीं करवा सकेगे। ऐसा कार्य जिला स्तरीय अथवा अन्य शाखाओं की वैद्य कार्यकारिणी (केन्द्रीय कार्य समिति से अधिकृत) ही केन्द्रीय कार्य समिति की पूर्व अनुमति से करवा सकेगी। ऐसे कार्यों के निर्माण हेतु राशि संग्रहण केवल निर्वाचित कार्यकारिणी ही कर सकेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस एवं निर्वाण – दिवस का आयोजन अथवा कोई भी अन्य आयोजन, संस्था प्रांगण में केन्द्रीय कार्य समिति अथवा शाखा की निर्वाचित कार्यकारिणी ही कर सकेगी।

केन्द्रीय कार्य समिति – अथवा किसी शाखा का कोई सदस्य स्वंय को अखवारों के जरिये या किसी अन्य माध्यम से किसी कार्यकारिणी का पदाधिकारी नहीं लिख सकेगा। केवल निर्वाचित पदाधिकारी ही संस्था के कार्यकलापों की जानकारी दे सकेंगे व प्रचार कर सकेगें।

(ख) सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय कार्यसमिति राज्य स्तर पर एवं जिला शाख व अन्य शाखाएं अपने–अपने स्तर पर विभिन्न उप समितियों का गठन कर सकेगी।

(ग) प्रदेश कार्यकारिणी केन्द्रीय कार्य समिति के कार्यकलापों की समीक्षा करेंगी एवं सुझाव देगी। यह कार्यकारिणी संस्था के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रचार व प्रसार करेगी।

(घ) केन्द्रीय कार्य समिति शाखाओं के विभिन्न आयोजनों में अपने प्रतिनिधि के रूप में संभागीय सचिव भेजकर सोसायटी का प्रचार / प्रसार एवं शाखाओं के कार्यकलापों की समीक्षा करेंगी।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (17) पदाधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियाँ :

विद्यमान प्रावधान :

(1) अध्यक्ष– अध्यक्ष आम तौर से महासभा का और कार्यकारिणी की सब बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

(3) महासचिव / सचिव – निम्नलिखित कार्य करेगे –

सोसायटी की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करेंगें।

(1) कार्यकारिणी और महासभा की बैठकों की कार्यवाही का कार्य–विवरण बैयार करना और उन्हें कार्यवाही पुस्तक में शामिल करना और कार्यकारिणी महासभा की अगली बैठक में उनकी पुष्टि करवाना।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को प्राप्त सब पत्र व्यवहार या कार्यकारिणी या महासभा के ध्यान में लाये–जाने योग्य अन्य सब मामले प्रस्तुत करना।

(3) समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना।

(4) सोसायटी का रिकार्ड ठीक और उचित रूप से रखना।

(5) सोसायटी के कर्मचारियों और कार्यकलापों का पर्यवेक्षण कना और नियंत्रण रखना।

(6) कार्यकारिणी निकाय में पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए पदाधिकारियों से जितना सम्भव हो अधिक सम्पर्क करना।

(7) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के निर्देशों को क्रियान्वित करना।

(8) बजट तैयार करना।

(9) सोसायटी के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्तिम लेखे तैयार करना और इसे बैठक में प्रस्तुत करना।

(10) कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

संयुक्त सचिव– संयुक्त सचिव, महाचिव / सचिव को उनके कार्य में सहायता देंगे एवं उसकी अनपुस्थिति में उनका कार्य सम्भालेंगे।

कोषाध्यक्ष– कोषाध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करेंगे–

(1) प्रवेश शुल्क, चन्दा, दान या सोसायटी की देय अन्य राशि प्राप्त करना और सोसायटी से अनुमोदित बैंकों में जमा कराना।

(2) सोसायटी के नाम से प्रस्तुत सब राशियों के लिए उचित रसीद जारी करना।

(3) स्वीकृत राशि का भुगतान करना।

(4) सोसायटी का पूरा लेखा–जोखा रखना।

(5) लेखों को जांच के लिए प्रस्तुत करना।

(6) बकाया की वसूली हेतु नोटिस जारी करना।

(7) नकद कोष की सीमा कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित होगी।

लेखा परीक्षक –

लेखा परीक्षक प्रति वर्ष सोसायटी के लेखों की जांच करेंगे और सचिव को इस बारे में रिपोर्ट देंगे। लेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय समिति / जिला कार्यकारिणी व अन्य शाखा कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (18) आर्थिक शक्तियाँ :

विद्यमान प्रावधान :

महासचिव / सचिव या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव को एक बार में अधिक से अधिक 500.00 रू. की राशि खर्च करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि यह व्यय नियत समय में कार्यकारिणी से अनुमोदित हो जाये।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (19) कोष :

विद्यमान प्रावधान :

मान्यता प्राप्त बैंक, में प्राप्त राशि के सोसायटी के नाम से जमा कर दी जायेगी और अध्यक्ष, महासचिव / सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाला जा सकेगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (20) पंजिकाएँ :

विद्यमान प्रावधान :

सोसायटी द्वारा निम्न पंजिकाएँ एवं कागजात रखे जायेंगे।

(1) सदस्यों के नाम, पते एवं व्यवसाय आदि दिखाते हुए रजिस्टर।

(2) रोकड़ बही व खाता बही।

(3) एक कार्यवाही पुस्तिका।

(4) स्टॉक रजिस्टर।

(5) रसीद पुस्तिकों का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर।

(6) अन्य आवश्यक रजिस्टर एवं पत्रावलियाँ।

सुझाव :

.....

.....

.....

.....

धारा (21) संशोधन :

विद्यमान प्रावधान :

(अ) इस संविधान में संशोधन आमसभा की बैठक / असाधारण बैठक में प्रस्तावित एवं पारित किया जा सकता हैं

(ब) कोई भी संशोधन आमसभा की बैठक में स्वीकृत से हुए बिना प्रभावित नहीं होगा।

(स) आम सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से अथवा उपस्थित सदस्यों के दौ–तिहाई बहुमत से मान्य एवं स्वीकृत हुए बिना संविधान में कोई भी संशोधन पारित नहीं समझा जायेगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (22) समिति पंजीकरण :

विद्यमान प्रावधान :

समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के समय–समय पर संशोधित समस्त नियम इस सोसायटी पर लागू होंगे।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (23) नियम बनाने की शक्तियाँ :

विद्यमान प्रावधान :

केन्द्रीय कार्यसमिति इस संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम बना सकती हैं, जिन्हें आमसभा से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

धारा (24):

विद्यमान प्रावधान :

सोसायटी के सदस्यों के कुल सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत के समर्थन बिनार सोसायटी समाप्त नहीं की जा सकेगी। सोसायटी के अवसायन होने पर सोसायटभ् के समस्त सम्पत्तियों जिनमें इसकी लेनदारियां और देनदारियां सम्मिलित होंगी, को राजस्थान समितियां पंजीकरण अधिनियम सन् 1958 से सस्वरता रखते हुए सोसायटी के संविधान के नियम के अनुसार परिचलन एवं निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

राजस्थान समितियां पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन परिभाषित रजिस्ट्रार को सोसायटी के कार्यालय के निरीक्षक के अधिकार होंगे और उसके सुझावों की इस अधिनियम के नियमों के अनुसार पालीना की जावेगी। सोसायटी को नियन्त्रित करने वाली समिति द्वारा पूर्ण विश्लेषण करके सोसायटी के सदस्यों के सम्मुख लिखित में सूचना से विशेष आम बैठक बुलाकर सोसायटी के संविधान के अनुसार विचार किये बिना सोसायटी के उद्देश्यों में कोई भी आंशिक परिवर्तन अथवा अन्य सोसायटी के साथ मिश्रण नहीं किया जा सकता। राजस्थान समितियां पंजीकरण अधिनियम सन् 1958 की धारा 12 में निहित प्रणाली के अनुसार लिखित में छपी हुई सूचनाओं को प्रभाव में लाया जायेगा।

सुझाव :

.....

.....

.....

***

III - नवीन प्रावधान जोड़ना (New Additions)

1. **उद्देशिकाः** (Preamble)

   किसी भी संस्था के संविधान, नियम एवं विनियमों के संबंध में संस्था की मूल भावनाओं के संबंध में उद्देशिका या संकल्प का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

सुझाव :

.....

.....

.....

2. संस्था का मोनो / लोगो (Logo)

सुझाव :

.....

.....

.....

3. संस्था का झण्डा (Flag)

सुझाव :

.....

.....

.....

4. संस्था का परिचय – पत्र (Identity Card)

सुझाव :

.....

.....

.....

5. संस्था के संविधान को विषयवार अध्यायों में विभक्त करने के संबंध में

सुझाव :

.....

.....

.....

6. **स्थाई सलाहकार परिषद का गठन :** सलाहकार मण्डल के स्थान पर संस्था की एक स्थाई सलाहकार परिषद का गठन इस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है कि परिषद स्थाई रूप से कार्यरत रहे और प्रतिवर्ष दो तिहाई सदस्य सेवानिवृत हो और उनके स्थान पर नये दो तिहाई सदस्यों का मनोनयन किया जावें। स्थाई परिषद का केन्द्रीय कार्य समिति / प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यों का समय–समय पर पर्यवेक्षण कर सुझाव प्रेषित करें जो केवल मात्र सुझाव न होकर उन पर गंभीर रूप से विचार करें। स्थाई परिषद का यह भी उद्देश्य हो कि वह प्रदेश कार्यकारिणी, जिला ईकाईयों के चुनाव समय पर सम्पन्न कराने के लिए कार्यकारिणी को निर्देशित करें। समय सीमा में चुनाव नहीं कराने पर

कार्यकारिणी स्वतः भंग मानी जावें एवं सम्पूर्ण कार्यों का संचालन स्थाई परिषद अपने जिम्मे लेकर निर्धारित समय सीमा में चुनाव करायेगी। सदस्यता / मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में भी समय–समय पर स्थाई सलाहकार परिषद निर्देश दे सकेगी ताकि चुनाव प्रक्रिया समय पर चुनाव सम्पादित हो सकें। सदस्यों की योग्यता एवं मनोनयन के सम्बन्ध में भी सुझाव प्रस्तुत करें।

सुझाव :

.....

.....

.....

7. संस्था की केन्द्रीय कार्य समिति एवं कार्यकारिणी का अन्तर स्पष्ट करते हुए सुसंगत सुझाव प्रस्तुत करें।

सुझाव :

.....

.....

.....

8. केन्द्रीय कार्य समिति / कार्यकारिणी के जिला, अन्य शाखाओं का संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य निष्पादन में समन्वय स्थापित कर कार्य संचालन करने के संबंध में सुझाव व विवाद होने पर अंतिम निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी का होने के सम्बन्ध में।

सुझाव :

.....

.....

.....

09. वित्त एवं विनियोजनः

(A) केन्द्र, जिला एंव अन्य शाखाओं का वित्तीय, बजट आय–व्यय विवरण, बचत खातों का रख–रखाव एवं समस्त वित्तीय मामलों में समन्वय एवं केन्दीय कार्यकारिणी के निर्देशन में कार्यों का निष्पादन करने के सम्बन्ध में।

(B) संस्था के कॉरप्स फण्ड, बहुलमूल्य प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स और विनियोजन के संबंध में केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा ही रख–रखाव के सम्बन्ध में।

(C) संस्था के कोष का सर्जन करने (आर्थिक दान, वस्तुओं का आदि) के सम्बन्ध में

(D) वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षण के सम्बन्ध में

सुझाव :

.....

.....

.....

10. **विधिक विवाद :** किसी भी प्रकार का कोई विधिक उठने पर सदस्य संस्था द्वारा मनोनीत आर्बिट्रेटर द्वारा ही निर्धारित किये जायेंगे, कोई भी सदस्य आर्बिट्रेटर के अपना विवाद रखें बिना सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता।

सुझाव :

.....

.....

.....

11. प्रदेश, जिला स्तर पर कार्य संचालन के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना के सम्बन्ध में

सुझाव :

.....

.....

.....

12. राज्य स्तरीय संस्था के प्रभावी कार्य संचालन के सम्बन्ध में

सुझाव :

.....

.....

.....

13. संस्था द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों को संस्था निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

सुझाव :

.....

.....

.....

14. महिला शिक्षा व सशक्तिकरण के उपायों के सम्बन्ध में

सुझाव :

.....

.....

.....

15. अपने–अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाली विभूतियों को सम्मानित करने के सम्बन्ध में

सुझाव :

.....

.....

.....

16. प्रदेश कार्य समिति, कार्यकारिणी, जिला संगठनों एवं मनोनयन किये जाने वाले प्रकोष्ठों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सुझाव

सुझाव :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. प्रकीर्ण (Miscellanenous)

सुझाव :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

18. अवशिष्ट प्रावधान (Residuary) प्रावधान :

सुझाव :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

———————

IV - अन्य सुझाव (Other Suggestions)

संविधान संशोधन समिति द्वारा 2013 तक संशोधित संविधान की धारा 1 से 24 तक में विद्यमान प्रावधानों में संशोधन (Amendment), विलोपीकरण (Deletetion), प्रतिस्थापन (Substitution), नवीन प्रावधान (New Addition) एवं पुनः लेखन (Re-Write) के लिए एवं नये प्रावधान जोड़ने के संबंध में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक में दिये गये प्रारूप में सुझाव आमन्त्रित किये गये है। उक्त प्रश्नावली में दिये गये शीर्षकों के अलावा किसी अन्य विषय पर कोई सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह इस शीर्ष के अन्तर्गत अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

सुझाव :

.....

.....

.....

नोट : समिति द्वारा आमन्त्रित किये गये सुझाव सोसायटी की अधिकृत ई–मेल और सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही प्रेषित किये जावें। यदि सुझावकर्ता आवश्यक समझे तो सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग भी कर सकता है। **(व्हाट्सप पर प्रस्तुत किये गये सुझाव मान्य नहीं होगें)। सुझाव सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय पर कार्यालय समय में व्यक्तिशः भी प्रस्तुत किये जा सकेगें। कार्यालय में सुझाव प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2023 है।**

पता : 13–14, झाला डूँगरी, जयपुर–302004, फोन : 0141–2711660, पंजीयन संख्या 290/80–81

E-mail: dramdkr@gmail.com **Website: www.dramdkrsociety.com**

जी. एल. वर्मा
सदस्य सचिव
संविधान संशोधन समिति
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर, राजस्थान

उदय चन्द बारूपाल
अध्यक्ष
संविधान संशोधन समिति
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर, राजस्थान